MR. CHAIRMAN: Please ask your supplementary now.

SHRI M.A. BABY: Sir, this is the kind of tactics being followed because if full information is provided today, many supplementaries would have arisen out of that answer. Now if the information is laid on the Table of the House, Members will be deprived of their right to ask supplementaries. They are unfortunately continuing to take recourse to this kind of teactics. Sir, we need your protection. What I would submit now is, let his quesion be transferred as the first question for the next week so that we will be able to raise supplementaries.

SHRI AJIT P.K. JOGI: It has been done before also. Please do it.

MR. CHAIRMAN: Can you answer next week? I think this time would be sufficient to get full information.

SHRI P. K. THUNGON: Since the information is incomplete, I stated very rightly that we will lay it on the Table. But I am prepared to answer further supplementaries that Members may ask.

SOME HON. MEMBERS: How can we ask supplementaries?

MR. CHAIRMAN: I think it is reasonable for the Members to say that they can ask intelligent supplementaries only after the information is made available to them. Therefore, I would like to postpone it. Should it be, say, after two weeks? (*Interruptions*) Next week? (*Interruptions*)

SHRI P. K. THUNGON: Sir, we are prepared.

MR. CHAIRMAN: We will discuss it next week. Now, Question No. 163. (*Interruptions*)

श्री राम नरेश यादव : महोदय, एक निवेदन है (**व्यवधान**) महोदय, एक निवेदन ये है कि वहां पर ऐडवाइजरी कमेटी भी है, सारे लोग हैं। बैठकें भी कई हुई हैं और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो निश्चित रूप से जो समय आपने दिया है उस समय पर जवाब आना चाहिये।

श्री ईश दत्त यादव : माननीय सभापति जी, यह प्रश्न मेरा था। एक मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूं... (**व्यवधान**) एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जो उत्तर मिला है लिखित यह श्री विद्या चरण शुक्ल जो के हस्ताक्षर से होगा। श्री विद्या चरण शुक्ल जी बहुत अनुभवी और पुराने मंत्री हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से बचने का इन्होंने प्रयास किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर डाल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार इनके ऊपर डालती है। मेरे प्रश्न का इन्होंने उत्तर देने की कोशिश नहीं की है। इसलिये माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं, उन भावनाओं से मान्यवर, मैं अपने को सबद्ध करता हूं और मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि एक हफ्ते में या जब भी सुविधा हो प्रश्न संख्या एक के रूप में पूरी सूचना के साथ माननीय मंत्री जी का उत्तर आना चाहिये। यही मेरा अनुरोध है।

MR. CHAIRMAN: It has been accepted.

SHRI P. K. THUNGON: After your ruling, Sir, we accept it and in whatever manner the House desires, we are prepared to answer at that time.

MR. CHARMAN: The matter is ended for the time being.

*162. [*Transferred to 15th March, 1993*].

*163. [*The Question (Shri Rajubhai A. Parmar) was absent for answers vide cal.... infra*]

Establishment of Minorities Development Banks|Corporations

*164. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the minorities development banks|corpo-

rations have been established in a number of States|Union Territories;

(b) if so, the names of such States/ Union Territories;

(c) whether the Central Government also propose to establish such a bank|corporation at the Centre;

(d) if so, the details therof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) Yes, Sir. Separate Corporations for development of minorities have been established in several States.

(b) *According to the information* available, Minorities Financial Corporations are functioning in Andhra. Pradesh Bihar Karnataka and Uttar Pradesh. In Assam Haryana (Mewat Region) Gujarat and Rajasthan, Devclopment Boards have been set up for minorities.

(c) to (e) The matter is under consideration.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सवाल का जवाब दिया है मंत्री जी ने, उसमें कोई भी सफाई के साथ उन्होंने बात नहीं बताई है कि माइनोरिटीज डेवलपमेंट बैंक्स और कारपोरेशंस वगैरह जो हैं, कहां-कहां पर, कितनी तादाद में कायम किए गये हैं । उनका बजट क्या है और जिन स्टेटस का जिक्र इन्होंने किया, मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम और हरियाणा, मैं पहले सवाल में यह जानना चाहता हूं कि इन स्टेटस में जो डेवलपमेंट कारपोरेशस या बैंक्स बनाये गए हैं उनका टोटल बजट क्या है और माइनोरिटीज के कितने लोगों को उससे लाभ हो रहा है, कितना उससे फायदा पहुंच रहा है ।

दूसरे, क्या इसको बढ़ाने की कोई योजना सरकार के पास है और आने वाले दो साल के अन्दर इसके बजट में कोई इजाफा किया जा रहा है ? क्या इसका कुछ असेस्मेंट वगैरह किया गया है ?

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو سوال کا جواب دیا ہے منتری جی نے۔ اس میں کوئی بھی صفائی کے ساتھ انہوں نے بات نہیں بتائی ہے کہ مائناریٹیز ڈیولپمنٹ بنکس اور کارپوریشن وغیرہ جو ہیں کہاں کہاں پر کتنی تعداد میں قائم کئے گئے ہیں۔ ان کا بجٹ کیا ہے اور جس اسٹیٹس کا ذکر انہوں نے کیا۔ مثال کے طور پر آندھرا پردیش۔ بہار۔ کرناٹک۔ اتر پردیش۔ آسام اور ہریانہ میں پہلے سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان اسٹیٹس میں جو ڈیولپمنٹ کارپوریشن یا بنک بنائے گئے ہیں۔ ان کا ٹوٹل بجٹ کیا ہے اور مائناریٹیز کے کتنے لوگوں کو اس سے لابھ ہو رہا ہے۔ کتنا اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دوسرے کیا اس کو بڑھانے کی کوئی یوجنا سرکار کے پاس ہے اور آنے والے دو سال کے اندر اس کے بجٹ میں کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کیا اس کا کچھ اسیسمنٹ وغیرہ کیا گیا ہے

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : माननीय सभापति जी, जहां तक प्रादेशिक सरकार के अन्तर्गत निगम वगैरह है, उसके बजट की सूचना मैं कलेक्ट करके दे सकता हूं । वर्तमान में वह हमारे पास नहीं है ।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, this is a very wrong practice. The earlier questions also, the first one, was answered in the same way. Now, a Cabinet Minister also is speaking

†[] Transliteration in Arabic Script.

like this. This is a very unfortunate situation.

श्री सीताराम केसरी : सभापति महोदय, इन्होंने ये पूछा है कि प्रादेशिक सरकार के अन्तर्गत जो निगम है उनके क्या बजट हैं और कितने लोगों को उससे मुनाफा हुआ है । उसका मैंने कहा ... (**व्यवधान**) सुन लीजिये, मेरे और उनमें अन्तर है जैसे आपने कहा । मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा । प्रश्न बड़ा गंभीर है। मैं तो समझता था कि कोई और प्रश्न कीजिएगा मगर सुन लीजिए प्रश्न का उत्तर। प्रादेशिक सरकार के अंतर्गत जो निगम है, उनकी बजट की सूचना हमारे पास नहीं है। कितने लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया इसकी भी सूचना हमारे पास वर्तमान में नहीं है। मैं हाउस को आश्वस्त करता हूं कि निकट भविष्य में उनसे कलेक्ट करके मैं पेश कर दूंगा।

श्री मोहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ल : मंत्री जी के जवाब से बिलकुल साफ जाहिर होता है कि मरकज़ी सरकार को अकल्लियतों के ताल्लुक से खास तौर से उनकी माहिशी जो बदहाली है उसको दूर करने के ताल्लुक से या तो कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर दिलचस्पी है तो कम से कम यह बात तो सिद्ध होती है मंत्री जी के जवाब से के उनको माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट कारेपोरेशंस या बैंक्स के बारे में कम से कम जानकारी कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि मरकज़ी सरकार इस तरह का कोई ऐसेसमेंट नहीं करती कि सूबाई हुकूमतें, स्टेट्स की जो सरकारें हैं वह माइनॉरिटीज के ताल्लुक से क्या कर रही हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रोग्राम आप ही की देन है 15 नुकाती प्रोग्राम अकल्लियतों के सिलसिले में। क्या उस अकल्लियती 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत ये बैंक्स और ये डेवलपमेंट कारपोरेशंस कवर होते हैं। अगर कवर होते हैं तो आपने क्या स्टेट्स की सरकारों से इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट मांगी है? अगर मांगी है तो रिपोर्ट क्या है? अगर नहीं मांगी तो यह बताने की कृपा करें कि क्यों नहीं मांगी है? क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि आपको अकल्लियतों के महाशी बदहाली को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती?

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : منتری جی کے جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرکزی سرکار کو اقلیتوں کے تعلق سے خاص طور سے انکی معاشی جو بدحالی ہے اس کو دور کرنے کے متعلق سے یا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اگر دلچسپی ہے تو کم سے کم یہ بات تو سدھ ہوتی ہے منتری جی کے جواب سے کہ انکو مائناریٹیز کے ڈیولپمنٹ کارپوریشنس یا بنکس کے بارے میں کم سے کم جانکاری کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی سرکار اس طرح کا کوئی اسیسمنٹ نہیں کرتی کہ صوبائی حکومتیں۔ اسٹیٹس کی جو سرکاریں ہیں وہ مائناریٹیز کے تعلق سے کیا کر رہی ہے۔ میں منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ ہی کی دین ہے۔ 15 نکاتی پروگرام اقلیتوں کے سلسلے میں کیا اس اقلیتی 15 نکاتی پروگرام کے تحت یہ بنکس اور یہ ڈیولپمنٹ کارپوریشنس کور ہوتے ہیں اگر کور ہوتے ہیں تو آپ نے کیا اسٹیٹس کی سرکاروں سے اس سلسلہ میں کوئی رپورٹ مانگی ہے۔ اگر مانگی ہے تو رپورٹ کیا ہے اگر نہیں مانگی تو یہ بتانے کی کرپا کریں کہ کیوں نہیں مانگی ہے کیا ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ آپ کو اقلیتوں کی معاشی بدحالی کو دور کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی دیتی۔

†[] Transliteration in Arabic Script.

श्री सीताराम केसरी : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य का यह आरोप गलत है। मेरी दिलचस्पी उन से ज्यादा है अल्पसंख्यकों में और यह मेरा दावा है। दूसरी बात, अगर मैंने रिपोर्ट मंगा ली होती तो मैंने सभापटल पर रख दिया होता, मैंने पूर्व क्वेश्चन के जवाब में कह दिया है। तीसरी बात जहां तक 15 सूत्री कार्यक्र का प्रश्न है उस को हमने सारे देश के मंत्री जनों को बुलाकर फैसला ले करके रिकास्ट करने के लिए फैसला लिया हैं जो अभी विचाराधीन है।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि यह जो केन्द्र के स्तर पर एक माइनॉरिटीज के लिए वित्त विकास निगम की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन है। आपने यह भी कहा है कि 15 सूत्री जो कार्यक्र है इनके लाभ के लिए, इस संबंध में हम कैसे और आगे क्या करें वह भी सरकार के सामने विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना पिछले दिनों आपने की और अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना आपने की। उस को ध्यान में रखते हुए और 15 सूत्री जो कार्यक्र है जो माइनॉरिटीज के हित के लिए बनाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए कब तक केन्द्र में जो अल्पसंख्यकों के लिए वित्त विकास निगम की स्थापना करने का फैसला है, कब तक सरकार निर्णय लेगी और कब से सरकार के विचाराधीन है। मैं माननीय...

श्री संघ प्रिय गौतम : अगले आने वाले 500 वर्षों में... (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में बहुत ही जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है और निर्णय ले करके उसमें धनराशि की भी व्यवस्था करने का भी आवश्यकता है क्योंकि पूरे राष्ट्र की धारा से जोड़ने का सवाल है। नहीं तो असंतोष होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कितने दिनों के अंदर माननीय मंत्री जी निर्णय कितनी धनराशि की व्यवस्था उसमें रखने की व्यवस्था करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सीताराम केसरी : सभापति जी, यह मौलिक प्रश्न है, उन का नहीं था। अल्पसंख्यकों के लिए मेरे माननीय सदस्य ने मौलिक प्रश्न किया है। 1988 में श्री राजीव गांधी जी ने एक नोट लिखा था और वैलफेयर मिनिस्ट्री को उन्होंने कहा था कि एक प्लान बनाओ मगर 1989 की जो सरकार आई उनसे नहीं बनाई, 1990 की सरकार आई उसने भी नहीं बनाई, हमारे पी.वी. नरसिंह राव जी की मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस खाकसार मंत्री ने इस चीज का पहल किया... (व्यवधान) योजना विभाग के सामने हमने इस मुद्दे को रखा था। योजना विभाग ने स्वीकृत नहीं किया। फिर भी हमने विचाराधीन रखा हुआ है। किस तरह से माइनोरिटी डिवलपमेंट कारेपोरेशन का निर्माण करें और जिस तरह से एस.सी.एस.टी. कारपोरेशन के द्वारा हम स्टेटों में अनुदान देते है वैसे ही स्टेटों में किस तरह करें यह हमारे विचाराधीन है।

राम नरेश यादव : मेरा प्रश्न यह था कि कब तक सरकार इसको करेगी। (व्यवधान) इसका उत्तर नहीं आया। क्योंकि जितना विलम्ब होगा उतना ही इसमें गड़बड़ होगा।

श्री सीताराम केसरी : इनके सुझाव का सम्मान करता हूं और निकट भविष्य की बात तो नहीं कर सकता। कुछ स .य लगेगा। क्योंकि सरकार में फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने में एक हफ्ता लगता है। इस हिसाब से निश्चित आश्वासन देता हूं कि निकट भविष्य में कर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : इससे सरकार की एफिशियंसी का पता लग रहा है। एक हफ्ते में एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल जाती है।

श्री सीताराम केसरी : यह निरन्तर तरीका है। आज का नहीं शाश्वत है।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : 40 साल लगते हैं एक हफ्ता नहीं। (व्यवधान)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: He is very much interested in setting up commissions but not interested in the Government's omissions.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : जनाब चेयरमन साहब, मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है कि आन्ध्र प्रदेश में हमारी तेलुगु देशम सरकार ने 1984 में वहां की स्टेट के लिए एक माइनोरिटी फाइनेन्शियल कारपोरेशन कायम किया था और उसको इतदा में एक करोड़ की ग्रांट दी गई थी। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो सोर्सज होते हैं बिल्कुल लिमिटेड, महदूद मसाइल होते हैं लिहाजा हम देख रहे हैं कि जहां कहीं स्टेट में माइनोरिटी फाइनेन्शियल कारपोरेशंस हैं वहां स्टेट गर्नवमेंटस खातिरखां ग्रांट-इन-एड उन कारपोरेशंस को नहीं दे पा रहे हैं। चुनाचे इस सिलसिले में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एक प्रोपोजल भेजा गया था कि उतनी ही मैचिंग ग्रांट सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट माइनोरिटी फाइनेन्शियल कारपोरेशन को दे। जिस तरह से आप एस.सी.एस.टी. फाइनेन्शियल कारपोरेशन को, बी.सी. फाइनेन्शियल कारपोरेशन को देते है उसी तरह से माइनोरिटी फाइनेन्शियल कारपोरेशन को भी मैचिंग ग्रांट दें। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस प्रोपोजल पर गौर कर रहे हैं? जरूरत इस बात की है कि मिनिस्टर साहब से यह तवक्को करूं कि वह इसका जवाब दें। मेरे सप्लीमेंटरी का दूसरा भाग यह है कि हम यह देख रहे हैं बैंक प्रोपर रिस्पोंस नहीं दे रहा है। माइनोरिटी फाइनेन्शियल कारपोरेशन लोन तो सैंक्शन कर देता है लेकिन जब बैंकर्स के पास जाते हैं तो बैंकर्स उसको नामंजूर कर देते हैं। इस सिलसिले में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा जा चुका है कि वह बैंकर्स की एक मीटिंग बुलाकर बैंकर्स को कहे कि जो कुछ माइनोरिटीज फाइनेन्शियल कारपोरेशंस ग्रांट मंजूर करती हैं उनको फौरी मंजूर करे और बेनिफिशियरीज को लोन दें। मैं यह मिनिस्टर साहब से दखस्ति करना चाहता हूं। शुक्रिया।

†شری محمد خلیل الرحمن. جناب چیئرمین صاحب مجھے بتاتے ہوئے بیحد خوشی ہوتی ہے کہ ... آندھرا پردیش میں ہماری تیلگو دیشم سرکار نے ۱۹۸۴ میں وہاں کی اسٹیٹ کے لئے ایک مائنارٹی

†[] Transliteration in Arabic Script.

اس سلسلہ میں سنٹرل گورنمنٹ کو لکھا جا چکا ہے کہ وہ بنکرس کی ایک میٹنگ بلا کر بنکرس کو کہے کہ جو کچھ مائنارٹیز فائنانشیل کارپوریشنس گرانٹ منظور کرتی ہیں۔ ان کو فوری منظور کیے اور بینیفیشریز کو لون میں یہ منسٹر صاحب سے

श्री सीताराम केसरी : सभापति जी, मैंने अपने पूर्व के उत्तर में कह दिया है कि जब हमारे यहां कारपोरेशन बनेगा तो जिस तरह से एस०सी०एस० टी. की योज ा है उसी तरह से होगा। जहां तक बैंकों का सवाल है एस.सी. एस.टी. फाइनेन्शियल कारपोरेशन और बैंकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन और दूसरे वीकर सैक्शन की बैंकों के बरे में शिकायत आई तो मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर से मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्थानीय बैंकों को आदेश दें कि इस दिशा में, एन एरियाज में वीकर सैक्शंस का जहां तक सवाल है उसकी सहायता में शीघ्रता करें।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : मैंचिंग ग्रांट के बारे में आनरेबल मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं कहा। कोई पोजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट मैंचिंग ग्रांट के ताल्लुक पर गौर कर रही है?

درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔

شری محمد خلیل الرحمٰن : میچنگ گرانٹ کے بارے میں آنریبل منسٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی پازیٹو ریپلائی نہیں دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سینٹرل گورنمنٹ میچنگ گرانٹ کے تعلق پر غور کر رہی ہے۔

†[] Transliteration in Arabic Script.

فائنشیل کارپوریشنس قائم کیا تھا اور اس کو ابتدا میں ایک کروڑ کی گرانٹ دی گئی تھی۔ کیونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو سورسز ہوتے ہیں بالکل لمٹیڈ محدود وسائل ہوتے ہیں لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں اسٹیٹ میں مائنارٹی فائنینشیل کارپوریشنس ہیں وہاں اسٹیٹ گورنمنٹس خاطر خواہ گرانٹ ان ایڈ ان کارپوریشنس کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سنٹرل گورنمنٹ کو ایک پروپوزل بھیجا گیا تھا کہ اتنی ہی میچنگ گرانٹ سنٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ مائنارٹی فائنینشیل کارپوریشنس کو دے جس طرح سے آپ ایس۔سی۔ ایس۔ٹی فائنشیل کارپوریشنس کو بی سی فائنشیل کارپوریشنس کو دیتے ہیں اسی طرح سے مائنارٹی فائنانشیل کارپوریشن کو بھی میچنگ گرانٹ دیں۔ میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ اس پروپوزل پر غور کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ منسٹر صاحب سے یہ توقع کروں کہ وہ اس کا جواب دیں۔ میرے سپلیمنٹری کا دوسرا بھاگ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بنک برابر رسپونس نہیں دے رہا ہے۔ مائنارٹی فائنشیل کارپوریشن لون تو سینکشن کر دیتا ہے۔ لیکن جب بنکرس کے پاس جاتے ہیں تو بنکرس اس کو نامنظور کر دیتے ہیں۔

†[] Transliteration in Arabic Script.

श्री सीताराम केसरी : आपका यह सुझाव है इस पर सोचा जा सकता है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : सभापति महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें यह स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए पूरे देश में मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक आयोग और बैंकों की स्थापना विभिन्न प्रदेशों में की गई है और उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यक वित्त निगम काम कर रहा है, ऐसा आपने उत्तर में बताया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जो कठिनाइयां आती हैं जैसा अभी पूर्व वक्त महोदय ने इंगित किया है कि यह साफ है कि चूंकि बैंकों पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का स्पष्ट रूप से कंट्रोल है और वित्त निगम राज्य के नियंत्रण में रहते हैं तो राज्य स्तर पर जो अल्पसंख्यकों को अनुदान दिया जाता है वह बैंकों से दिया जाता है और इसलिए उनके सामने तमाम कठिनाइयां आती हैं। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए विशेष रूप से अलग से कोई विकास बैंक अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विकास बैंक की स्थापना करना चाहते हैं जैसा कि इनके उत्तर में बैंकों के बारे में कुछ नहीं आया है? दूसरा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उसमें जो बैंकों से कर्जा दिया जाता है अल्पसंख्यकों के विकास के लिए वह किस ब्याज दर पर बैंको को कर्जा देने का निर्देश है और अल्पसंख्यकों के लिए मार्जिनल नी अपनी तरफ से आयोजित करने की व्यवस्था है या वे उसी तरह से जारी है जैसे अन्य निगमों में और बैंकों में विकास के लिए गये ऋण के कर्जो में रहती है? दूसरा एक और प्रश्न जो आवश्यक है, मैं जानना चाहता हूं कि 1993–94 के वित्त वर्ष में इस संबंध में आपने बजट में क्या व्यवस्था निर्दिष्ट की है और 1991–92 में इस संबंध में जो बैंकों के बारे में शिकायतें अल्पसंख्यकों की ओर से आती हैं कि इस संबंध में उनकी पूरी तरह से मदद नहीं होती है, तो क्या ऐसी शिकायतें भी आई हैं या नहीं आई हैं?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैं पूर्व क्वेश्चन के उत्तर में कह चुका हूं कि बैंकों के संबंध में मेरे पास जो भी शिकायतें आई हैं उस संबंध में मैंने कहा है कि वित्त मंत्री से बात करूंगा और बात जारी है। मैंने यह भी कहा है कि उनकी जो तकलीफें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक बजट की बात कही गई है, 1993–94 में, मैंने कहा कि अभी तक निगम गठित नहीं किया गया है और चूंकि योजना विभाग ने इस संबंध में मेरे प्रस्ताव का एसेप्ट नहीं किया है, पुनः विचाराधीन है। इसलिए अभी कोई इस दिशा में धन का इतना योजना में रखा गया है, ऐसा हमने तय नहीं किया है, मगर करेंगे।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : ब्याज दर क्या होगी, यह तो बता दें।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम की पुनर्रचना की बात कही है, तो क्या पहले उसमें कोई कमियां थीं और अगर कमियां थीं तो वे क्या थीं और किस रूप में वे उनकी पुनर्रचना कर रहे हैं?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, रिकास्ट का अर्थ यही होता है जो कुछ चीजें पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम में कही गई थी, ऐसे प्रश्न रहे हैं जिनमें पूर्णता का अभाव हो, चाहे कमी रही हो, इसलिए उसको अभी रिकास्ट करने के पूर्व हमने सारे देश के मंत्री जनों को बुलाकर मीटिंग की थी और एक मत से मंत्रीजनों ने यह फैसला किया कि इसको रिकास्ट किया जाय।

MR. CHAIRMAN Mr. S.K.T. Ramachandran.

SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: First of all, I congratulate the Minister for his effective implementation of the programme initiated by our late leader, Shri Rajiv Gandhi. This Government is also interested in the development, especially the economic development of the minorities and backward classes and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. With that obj ect alone, such a good scheme has been now under effective implemenation.

In this connection, I would like to request the Minister to let me know as to what guidelines they have given to the banks for catering to the needs of the minorities. In what areas and in what ways have they determined to help the minorities under this programme?

SHRI K. V. THANGKA BALU: Sir, so far we have not established any corporation at he national level, but we are very much interested in helping the minorities on the same lines as we help the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and backward classes. Under this scheme we want to give them training support for employment opportunities in trades where they are working. Since we want to help the minorities on the same pattern, the programme to help them is under the consideration of the Government. We wil come back to the House very soon with our programme.

श्रीमती सत्या बहिन : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहती हूं कि गत दिनों में 6 दिसम्बर के बाद एक राजनैतिक दल के साम्प्रदायिक क्रियाकलापों के कारण पूरे देश में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उससे अल्पसंख्यकों को भारी नुकसान हुआ, जान-माल का नुकसान हुआ, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसे दंगा प्रभावित लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिये अल्पसंख्यक विकास निगम या अल्पसंख्यक विकास बैंकों को कोई विशेष निर्देश दिये गये हैं? इन लोगों के आर्थिक विकास के लिये या इनके पुनर्वास की कोई योजना है या नहीं है, या कोई इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य किये जायं?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह होम मिनिस्ट्री से संबंधित होते हुए भी उनके लिये राहत योजना है। जो भी दंगाग्रसित होते हैं, चाहे जिस समुदाय के हों, उसे राहत मिलती है और राहत मिली होगी। अगर राहत किसी को नहीं मिली है तो निश्चित रूप से समाचार मिलने पर, सूचना मिलने पर राहत दी जायेगी।

मौलाना अबदुल्ला खान आजमी : सर, मैं आपके जरिये माइनारिटीज के सिलसिले में यह जानना चाहूंगा कि बड़ा शोर होता है माइनारिटीज के सिलसिले में मुंह भराई को और बड़ा शोर होता है माइनारिटीज के सिलसिले में उनकी हमदर्दी का, मगर इस आरिफाना तजाहुद के सदके हर एक दिल को छेदा मेरा दिल समझ के। मैं यह जानना चाहता हूं कि 15-सूत्री कार्यक्रम कब बना था और उससे अब तक कितना फायदा माइनोरिटीज को सरकार ने पहुंचाया और अब इस 15-सूत्री कार्यक्रम में जो यजीद फायदा पहुंचाने का प्रोग्राम सरकार ने बनाया है, उसमें क्या-क्या योजनायें रखी गई हैं, माइनोरिटीज को इसका फायदा पहुचाने के लिए ? क्योंकि माइनोरिटीज को बेपनाह फायदा पहुच रहा है। 1947 से, जबलपुर, मेरठ में, बम्बई में, सूरत में, अहमदाबाद में यह माइनोरिटीज को यह फायदा है जिससे दुनिया इंकार नहीं कर सकती। सरकार इस तरह से माइनोरिटीज को फायदा पहुंचा रही है, मुसलमानो की बेइज्जती के जरिए, उनका माल-जान

और असबाब लूटने के जरिए, ऐसा फायदा सरकार के जरिए हमें देखने को मिल रहा है। मगर सरकार ने 15-सूत्री कार्यक्रम के जरिए क्या कोई फायदा भी पहुंचाया है ? जहां फसादात हुए हैं, 15-सूत्री कार्यक्रम के जरिए सरकार ने उन लोगों की जिंदगी को बेहाल करने में कोई मदद दी है या सरकार ने 15-सूत्री कार्यक्रम के जरिए अल्पसंख्यकों के लिए जितने प्रोग्राम बनाये थे उनमें कितना परसेंट अमल किया है और कहां-कहां किया है और किन-किन शहरों में किया है, किन-किन वर्गों के साथ किया है, मैं इसकी जानकारी चाहता हूं ? अगला प्रोग्राम जो सरकार ने बनाया है उसमें माइनारिटीज को क्या दान दिये जा रहे हैं ? मैं उस दान को भी समझना चाहता हूं इसलिए कि माइनारिटीज को हक देने के लिए तो सरकार तैयार नहीं, अब दान देने वाली बात अगर कर रही है तो दान का क्या आदान-प्रदान है, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं ?

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی : سر میں آپکے ذریعے مائنارٹیز کے سلسلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بڑا شور ہوتا ہے مائنارٹیز کے سلسلے میں منہ بھرائی کا اور بڑا شور ہوتا مائنارٹیز کے سلسلے میں ان کی ہمدردی کا مگر اس عارفانہ تجاہل کے صدقے ہر ایک دل کو جھیدا میرا دل سمجھ کے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ۱۵ سوتری کاریہ کرم کب بنا تھا اور اس سے اب تک کتنا فائدہ مائنارٹیز کو سرکار نے پہنچایا اور اب اس ۱۵ سوتری کاریہ کرم میں مزید فائدہ پہنچانے کا پروگرام سرکار نے بنایا ہے اس میں کیا کیا یوجنائیں رکھی گئی ہیں۔ مائنارٹیز کو

†[] Transliteration in Arabic Script.

اس کا فائدہ پہنچانے کے لئے جیسا کہ مائنارٹیز کو بے پناہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ۱۹۴۷ سے جبلپور میں، مرادآباد میں، بمبئی میں، سورت میں احمد آباد میں یہ مائنارٹیز کا فائدہ ہے جس سے دنیا انکار نہیں کر سکتی، سرکار کس طرح سے مائنارٹیز کو فائدہ پہنچا رہی ہے مسلمانوں کی بے عزتی کے ذریعے ان کا مال، جان و اسباب لٹنے کے ذریعے ایسا فائدہ سرکار کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے مگر سرکار نے ۱۵ سوتری کاریہ کرم کے ذریعے کیا کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے۔ جہاں فسادات ہوتے ہیں۔ ۱۵ سوتری کاریہ کرم کے ذریعے سرکار نے ان لوگوں کی زندگی کو بحال کرنے میں کوئی مدد دی ہے یا سرکار نے ۱۵ سوتری کاریہ کرم کے ذریعے الپ سنکھیکوں کے لئے جتنے پروگرام بنائے تھے۔ ان میں کتنا پرسینٹ عمل کیا ہے اور کہاں کہاں کیا ہے اور کن کن شہروں میں کیا ہے۔ کن کن ورگوں کے ساتھ کیا ہے میں اس کی جانکاری چاہتا ہوں۔ اگلا پروگرام جو سرکار نے بنایا ہے۔ اس میں مائنارٹیز کو کیا دان دینے جا رہے ہیں۔ میں اس دان کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس لئے کہ مائنارٹیز کو حق دینے کے لئے تو سرکار تیار نہیں۔ اب دان دینے والی بات اگر کر رہی ہے تو دان کا کیا آدان پردان ہے۔ یہ میں سرکار سے

†[] Transliteration in Arabic Script

جاننا چاہتا ہوں۔

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, हर की नीयत पर संदेह करना आसान है। मैं माननीय सदस्य को यह नहीं कहता कि मेरी नीयत पर आप संदेह मत कीजिए, खूब कीजिए। मगर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि 1983 में इंदिरा जी ने 15-प्वाइंट प्रोग्राम बताया था। यह 1947, 1948, 60, 65 में नहीं था। उसके अंतर्गत जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि...माइनारिटीज का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है **(व्यवधान)**

श्री वीरेन जे० शाह : कौन बना रहा है ? किसने बनाया है **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : सुनिए। मुझे जवाब देने दीजिए **(व्यवधान)** मैं इन सब चीज़ों से घबराता नहीं हूं **(व्यवधान)** मैंने आजादी की लड़ाई देखी है, मैंने आज स्वाधीनता भी देखी है, मैंने 1947 भी देखा है **(व्यवधान)**

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: I want your protection.

MR. CHAIRMAN: Please listen to the Minister.

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: The hon. Member has asked a particular question. The Minister should reply to it.

MR. CHAIRMAN: He is answering.

श्री सीताराम केसरी : मैं जवाब दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : आपने क्या आजादी के लिए, हम सब पहले से जानते हैं **(व्यवधान)**

†[ ] محمد افضل عرف م۔ افضل: آپ نے کیا آزادی کے لئے ہم سب پہلے سے جانتے ہیں "مداخلت"۔

श्री सीताराम केसरी : देखिए, सुनिए मेरी बात। नीयत पर शक करने का आपको हक है मगर मेरा भी विश्वास कानफिडेंस, मेरी भी नीयत ... **(व्यवधान)**

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : आप की नीयत पर शक नहीं है **(व्यवधान)** मगर आपकी सरकार की बेईमानी पर यकीन भी है। **(व्यवधान)**

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: آپکی نیت پر شک نہیں ہے "مداخلت" مگر آپکی سرکار کی بے ایمانی پر یقین بھی ہے "مداخلت"۔

श्री सीताराम केसरी : एक चीज मैं कहना चाहता हूं। आपने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, इसलिए मैं राजनीतिक जवाब दूंगा। यह सारा इतिहास जानता है कि मेरी कभी भी इनसे, भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं रहा **(व्यवधान)** आप लोगों का रहा **(व्यवधान)**

श्री वीरेन जे० शाह : यहां भारतीय जनता पार्टी को लाने का क्या मतलब है ? **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down?

मौलाना ओबदुल्ला खान आजमी : माइनोरिटीज का मसला हमेशा राजनीतिक बनाया है इन लोगों ने **(व्यवधान)** माइनारिटीज का मसला राजनीतिक बनाकर उनको खत्म किया गया **(व्यवधान)**

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: مائنارٹیز کا مسئلہ ہمیشہ راج نیتک بنایا ہے ان لوگوں نے۔ "مداخلت" مائنارٹیز کا مسئلہ راج نیتک بنا کر انکو ختم کیا گیا۔ "مداخلت"۔

MR. CHAIRMAN: Will you please listen?

श्री सीताराम केसरी : अभी राष्ट्रपति के चुनाव में आप दोनों एक थे (**व्यवधान**) यह मत कहिए आप (**व्यवधान**)

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी: इनके दल के साथ आपका जोड़ हो या न हो लेकिन आपके दिल के साथ इनका जोड़ रहा है । आपने दिल के साथ जोड़ रखा है । दल के साथ रखा हो या न रखा हो (**व्यवधान**) आप इलैक्शन लड़ते हैं तो आपका नारा होता है एक वोट काम के नाम पर, एक वोट राम के नाम पर । आपने दल के साथ ताल्लुक पैदा किया या न किया हो (**व्यवधान**)

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ان کے دل کے ساتھ آپ کا جوڑ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے دل کے ساتھ ان کا جوڑ رہا ہے۔ آپ نے دل کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ دل کے ساتھ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو۔ "مداخلت" آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کا نعرہ ہوتا ہے۔ ایک ووٹ کام کے نام پر۔ ایک ووٹ رام کے نام پر۔ آپ نے دل کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہو نہ کیا ہو۔ "مداخلت"۔

श्री सुरेश पचौरी : 1989 में समर्थन किस ने किया था (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं मंत्री जी (**व्यवधान**)

†[] Transliteration in Arabic Script.

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں منتری جی۔ "مداخلت"۔

श्री सुरेश पचौरी : आपके दल के लोगों ने बी.जे.पी. का समर्थन प्राप्त कर के सरकार चलाई थी (**व्यवधान**) आपको सरकार में कौन लोग थे (**व्यवधान**)

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी: आपने कौन सा सलूक किया है माइनोरिटीज के साथ (**व्यवधान**)

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: آپ نے کونسا سلوک کیا ہے مائنارٹیز کے ساتھ۔ "مداخلت"۔

MR. CHAIRMAN: Next supplementary, Mr. Narayanasamy.

श्रीमती सईदा बहिन : आग लगाने वालों के साथ बैठते हो आप (**व्यवधान**)

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : हमने सच्चाइयां पेश की हैं, कोई राजनीतिक सावल नहीं किया है । (**व्यवधान**)

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ہم نے سچائیاں پیش کی ہیں۔ کوئی راج نیتک سوال نہیں کیا ہے۔ "مداخلت"۔

MR. CHAIRMAN: Have you got anything to say specifically?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मै जवाब दे रहा हूं (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: You give some specific answer.

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, जहां तक 15 सूत्री कार्यक्रम है, मैंने आपसे पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सारे देश के मंत्रियों की मीटिंग बुला कर रिकास्ट करने का फैसला किया है । मैं फिर

†[] Transliteration in Arabic Script.

आश्वत कर रहा हूं कि 15 सूत्री कार्यक्रम को पूर्ण रूप से क्रियात्मक बनायेंगे । दूसरा निवेदन माननीय सदस्यों से यह है कि मैंने पहली बार माइनोरिटीज कमीशन को स्टेट्युटरी पावर दी है । इसलिए मेरी नीयत साफ है ।

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी : हमने आपकी नीयत पर कोई शुबाह नहीं किया है । हम आपको मुबारकबाद दे चुके हैं । हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं । आपकी नीयत साफ है मगर आपकी पार्टी (व्यवधान)

†مولانا عبیداللہ خان اعظمی : ہم نے آپ کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا ہے ۔ ہم آپ کو مبارکباد دے چکے ہیں ۔ ہم آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ۔ آپ کی نیت صاف ہے ۔ مگر آپکی پارٹی : مداخلت

श्री सीताराम केसरी : आपकी बात को मानता हूं । एक चीज की ओर सूचना देना चाहता हूं जो आपने प्रश्न नहीं किया कि मैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल भी लाने वाला हूं ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं आपको बता दूं कि इस बार भी आप नहीं लायेंगे.... (व्यवधान)

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل :

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down?

SHRI V. NARAYANASAMY: According to the information given by the hon. Minister in his reply, only a few States have formed a Corporation for the purpose of benefiting the minorities in this country. The Central Government given ideas to the State Governments concerned for the purpose of implementing the scheme. But the State Governments concerned are not implementing them for various reasons. In spite of the interaction by the Central Minister, the State Governments are not completing the projects or the schemes. The main thrust of the question is that only. The various State Governments have not implemented the scheme, they have not formed the Corporation so far. Therefore, I would like to know from the hon. Minister what the coordinating agency is. That is point No. 1. Point No. 2 is this. For the purpose of implementing the scheme for the minorities under the 15-Point Programme, which was the mission of Shri Rajiv Gandhi, our former Prime Minister, a commitment was given to the minorities that the Corporation would be formed. The hon. Minister should see that there is a monitoring agency in his Ministry for the purpose of implementing the scheme which was brought by the previous Government and is sought to be implemented by the present Government. Therefore, I would like to know what the response of the Minister is in this regard.

SHRI K. V. THANGKA BALU: Sir, the Government is very much committed to the welfare of the minorities and we will certainly monitor the programmes given to the State Governments. Also, we will request the State Governments to cooperate and coordinate with the Central Government in relation to the developmental programmes given to the State Governments.

SHRI V. NARAYANASAMY: What about monitoring? (*Interruptions*).

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that according to

†[] Transliteration in Arabic Script.

the Gopal Singh Committee, the representation of Muslim minorities in the services of the Government of India is very low. For example, in Grade I services, their representation accounts only for 1.6 per cent. Even in Class IV services, their representation accounts only for 5.8 per cent. This being the case, what programmes, affirmative action programmes, does the Government propose to embark upon to see that the minorities are more properly represented in Government services, through special education programmes and other things?

MR. CHAIRMAN: The question really is about corporations and banks. It is a much larger issue. Would the Minister like to answer it?

SHRI SITARAM KESRI: Still, I want to answer.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, if the supplementary is irrelevant, why should he answer it?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, इन्होंने एक पोलिटिकल क्वेश्चन किया है । यह क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है मगर फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गोपाल सिंह कमीशन रिपोर्ट है उसकी लाइट में हमने यह पहल की है और श्री राजीव गांधी जी ने 1988 में वेल्फेयर डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया कि इस तरह का प्लान बनाओ (व्यवधान) यह प्लान बनाया है ।

दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है, इस सुझाव को हम रचनात्मक मानते हैं और उस पर हम विचार करेंगे ।

Amendments in Mines and Minerals regulation and Development Act

*165. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the urgent need to amend the MMRD Act so as to encourage foreign investments in exploration and exploitation of minerals both in captive and non-captive mines;

(b) if so, what steps Government have taken so far;

(c) whether Government have received any suggestions from the Federation of Indian Mineral Industries; and

(d) if so, the details thereof and the action taken thereon?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन

(क) और (ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ) फैडरेशन आफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज से सुझाव प्राप्त हुये हैं । मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:-

(1) पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी०एल०)/ खनन पट्टे (एम०एल०) को समय पूर्व समाप्त करना हटा दिया जाना चाहिये ।

(2) धारा 4(क) (4) के अन्तर्गत पट्टे के कालबधित (लैप्स) होने की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाए ।

(3) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 6 के अधीन पी०एल०/एम०एल० के लिये क्षेत्र की सीमा का निर्धारण अलग-अलग राज्य के लिये किया जाना चाहिये पूरे देश के लिये नहीं ।